न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 4/2019

गोकुल चन्द सोनी पुत्र श्री सोहनलाल निवासी टमकोर जिला झुंझुनू

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 14.02.2019

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 17.01.2019 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 4/2019 पर दिनांक 18.01.2019 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2019/93–94 दिनांक 24.01.2019 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर ने पत्रांक भू.अ./2019/298 दिनांक 12.02.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस कार्यालय के पत्रांक /भू.अ./2019/101 दिनांक 08.01.2019 को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी भू.अ. कलेक्ट्रेट) झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उनके कार्यालय के पत्रांक /भू.अ./2019/101 दिनांक 08.01.2019 को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 14.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुन्झुनू